न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–103/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या– 2023/114

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19–ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तेजपालसिंह राठौड़ पुत्र देवीसिंह कलस्टर क्रेडिट मैनेजर (अधिकृत अधिकारी),एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19–ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर 302001		1. मैसर्स सूफीया हैयर कटिंग जरिये प्रोपराईटर हैदर अली निवासी हाथी पोल, अजमेरी गेट रोड, नागौर तहसील व जिला नागौर।– 341001 2. श्रीमती समीम पत्नी मेहरदीन निवासी 354, नाईधोबी मौहल्ला, नागौर तहसील व जिला नागौर, राजस्थान 341001 3. मोहम्मद उमर पुत्र मोहम्मद एहसान निवासी नाई धोबी का मोहल्ला, वार्ड नं. 22, नागौर तहसील व जिला नागौर राजस्थान 341001 4. खुर्शीद अहमद पुत्र मोहम्मद एहसान निवासी हाथी पोल नागौर तहसील व जिला नागौर राजस्थान–341001 5. हैदर अली पुत्र मेहरदीन निवासी धोबियों का मोहल्ला, हाथी पोल नागौर तहसील व जिला नागौर राजस्थान–341001 6. मेहरदीन पुत्र मोहम्मद एहसान निवासी धोबियों का मोहल्ला, हाथी पोल नागौर तहसील व जिला नागौर, राजस्थान–341001 दूसरा पता– दुकान नं. 02, हाथी पोल के अंदर, नाइयों व धोबियों का मोहल्ला, नागौर तहसील व जिला नागौर, राजस्थान 341001

आदेश दिनांकः 13-06-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर, वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ऋणी को जरिये **रूपये 8,50,000/–(अक्षरे आठ लाख पचास हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 19.02.2021 को** ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पतिः–सम्पति संख्या–1 जो दुकान नं. 2, अजमेरी गेट के अन्दर, नाई धोबियों का मौहल्ला, नागौर में स्थित हैं, जो 35 वर्गफुट हैं जो 4.33 वर्गगज है तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जो मेहरदीन पूत्र श्री एहसान द्वारा धारित है। जिसके पडोस निम्न है –उतर में– दुकान नं. 01 है जो रामकिशोर को दी हुई है, दक्षिण में–दुकान नं. 03 जो खुर्शीद के बंट का है, पूर्व में– चौक जो खुर्शीद के बंट का है, पश्चिम में–दुकान का दरवाजा, आगे गांधी चौक के अजमेरी गेट जाने वाली आम रोड है। सम्पति संख्या–2 जो नागौर शहर के नाईधोबियों का मौहल्ला नागौर में पीढ़ियों पुराना, कब्जासुदा, पट्टासुदा स्वामित्व का एक मकान स्थित हैं, जो 992.94 वर्गफुट हैं तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जो मेहरदीन पूत्र श्री एहसान द्वारा धारित है। जिसके पडोस निम्न है–उतर में– श्री गंगासिंह जी वकील की पोल है, दक्षिण में–मकान का सिरे दरवाजा बरण्डा उसके बाद में गुजर की गली व उसके बाद धोबियों की मस्जिद है, पूर्व में–गंगासिंह जी वकील की पोल है, पश्चिम में–रामकिशोर सोनी की दुकान, मेहरदीन की दुकान, समीम की दुकान व आम रास्ता गांधी चौक से अजमेरी गेट तक जाने वाला है,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 08.08.2022** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व उक्त ऋण के संबंध मे अप्रार्थी/ऋणी में कुल **रूपये 9,22,075/–(अक्षरे नो लाख बाईस हजार पचहतर रूपये मात्र) दिनांक 18.11.2022 तक शेष देय है एंव इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस **दिनांक 19.11.2022** प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये, एवं नोटिस का अखबार प्रकाशन भी करवाया गया, परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि में **रूपये 9,22,075/–(अक्षरे नो लाख बाईस हजार पचहतर रूपये मात्र) दिनांक 18.11.2022 तक शेष देय है एंव इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **सम्पति– सम्पति संख्या–1 जो दुकान नं. 2, अजमेरी गेट के अन्दर, नाई धोबियों का मौहल्ला, नागौर में स्थित हैं, जो 35 वर्गफुट हैं जो 4.33 वर्गगज है तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जो मेहरदीन पूत्र श्री एहसान द्वारा धारित है। जिसके पडोस निम्न है –उतर में– दुकान नं. 01 है जो रामकिशोर को दी हुई है, दक्षिण में–दुकान नं. 03 जो खुर्शीद के बंट का है, पूर्व में– चौक जो खुर्शीद के बंट का है, पश्चिम में–दुकान का दरवाजा, आगे गांधी चौक के अजमेरी गेट जाने वाली आम रोड है। सम्पति संख्या–2 जो नागौर शहर के नाईधोबियों का मौहल्ला नागौर में पीढ़ियों पुराना, कब्जासुदा, पट्टासुदा स्वामित्व का एक मकान स्थित हैं, जो 992.94 वर्गफुट हैं तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जो मेहरदीन पूत्र श्री एहसान द्वारा धारित है। जिसके पडोस निम्न है–उतर में– श्री गंगासिंह जी वकील की पोल है, दक्षिण में–मकान का सिरे दरवाजा बरण्डा उसके बाद में गुजर की गली व उसके बाद धोबियों की मस्जिद है, पूर्व में–गंगासिंह जी वकील की पोल है, पश्चिम में–रामकिशोर सोनी की दुकान, मेहरदीन की दुकान, समीम की दुकान व आम रास्ता गांधी चौक से अजमेरी गेट तक जाने वाला है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **रूपये 8,50,000/–(अक्षरे आठ लाख पचास हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 19.02.2021** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– सम्पति संख्या–1 जो दुकान नं. 2, अजमेरी गेट के अन्दर, नाई धोबियों का मौहल्ला, नागौर में स्थित हैं, जो 35 वर्गफुट हैं जो 4.33 वर्गगज है तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जो मेहरदीन पूत्र श्री एहसान द्वारा धारित है। जिसके पडोस निम्न है –उतर में– दुकान नं. 01 है जो रामकिशोर को दी हुई है, दक्षिण में–दुकान नं. 03 जो खुर्शीद के बंट का है, पूर्व में– चौक जो खुर्शीद के बंट का है, पश्चिम में–दुकान का दरवाजा, आगे गांधी चौक के अजमेरी गेट जाने वाली आम रोड है। सम्पति संख्या–2 जो नागौर शहर के नाईधोबियों का मौहल्ला नागौर में पीढ़ियों पुराना, कब्जासुदा, पट्टासुदा स्वामित्व का एक मकान स्थित हैं, जो 992.94 वर्गफुट हैं तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमे भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जो मेहरदीन पूत्र श्री एहसान द्वारा धारित है। जिसके पडोस निम्न है–उतर में– श्री गंगासिंह जी वकील की पोल है, दक्षिण में–मकान का सिरे दरवाजा बरण्डा उसके बाद में गुजर की गली व उसके बाद धोबियों की मस्जिद है, पूर्व में–गंगासिंह जी वकील की पोल है, पश्चिम में–रामकिशोर सोनी की दुकान, मेहरदीन की दुकान, समीम की दुकान व आम रास्ता गांधी चौक से अजमेरी गेट तक जाने वाला है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर